कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....149...... / रीवा, दिनांक 01 / 07 / 2026

/ दो–15–3 / 90

1. न्यायालय–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के प्रस्तुतकार द्वारा पत्र दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक 310ए / 07 संपत्ति यादव विरूद्ध दुलरिया वगै0 को माननीय उच्च म.प्र. जबलपुर के प्रकरण क्रमांक MP/2514/2026 संपत्ति यादव विरूद्ध दुलरिया में पारित आदेश दिनांक 06.05.2026 एवं व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक 3900056ए / 2006 राजेन्द्र प्रसाद विरूद्ध अनिल को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के प्रकरण क्रमांक W.P.No.6774/2006 अनिल वि. राजेन्द्र प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 के आदेशानुसार 06 माह के अंदर प्रकरण को निराकृत किया जाना है।

2. न्यायालय–तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के प्रस्तुतकार द्वारा पत्र दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए. / 4100312 / 2016 बद्री प्रसाद कुशवाहा विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के प्रकरण क्रमांक MP/4056/2019 बद्री प्रसाद कुशवाहा विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के आदेशानुसार 06 माह के अंदर प्रकरण को निराकृत किया जाना है।

कार्यालय आदेश क्रमांक 425 / दो–12–37 / 25 रीवा दिनांक 25.06.2026 के द्वारा श्रीमती आरती सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा को दिनांक 29.06.2026 से 12.07.2026 तक कुल 14 दिवस का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 13.07.2026 से 08.01.2027 तक कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 406 / दो–12–37 / 25 रीवा दिनांक 18.06.2026 के द्वारा श्रीमती रश्मि बागरी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा को दिनांक 08.06.2026 से 11.06.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12.06.2026 से 08.12.2026 तक कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर–2 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर–3 में दर्शित प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित समय–सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधित सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर–4 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किये जाते हैः–

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई	प्रकरण का प्रकार एवं कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
1	2	3	4
1.	श्रीमती आरती सिंह, द्वितीय व्यवहा न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. व्यवहारवाद प्रकरण क. 310ए / 07 संपत्ति यादव विरूद्ध दुलरिया वगै0 2. व्यवहारवाद प्रकरण क. 3900056ए / 06 राजेन्द्र प्रसाद विरूद्ध अनिल	श्री बृजेश कुमार चंसौरिया चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (म.प्र.)
2	श्रीमती रश्मि बागरी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रीवा	आर.सी.एस.ए. / 4100312 / 2016 बद्री प्रसाद कुशवाहा विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा	श्री दिलीप माहोर, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (म.प्र.)

01/07/–

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

1918/6

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

पृष्ठांकन क्र0 3311..../   रीवा, दिनांक 01/07/2026
/दो–15–3/90

प्रतिलिपिः–

1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
2. तृतीय/चतुर्थ/नवम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

for– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)